बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(कौ०वि०/(रा०प्रो०सं०,पटना)–01/15

शुद्धि पत्र

उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या–856, दिनांक–24.03.17 के कंडिका–11 को निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तद्नुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाय :–

वित्त विभागीय पंत्राक 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

2. राज्यादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगें।

विश्वसभाजन,
ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(कौ०वि०/(रा०प्रो०सं०पटना)–01/15

प्रतिलिपि.–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(कौ०वि०/(रा०प्रो०सं०पटना)–01/15

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(कौ०वि०/(रा०प्रो०सं०पटना)–01/15

प्रतिलिपि.–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(कौ०वि०/(रा०प्रो०सं०पटना)–01/15

प्रतिलिपि.– राष्ट्रीय प्रौघोगिकी संस्थान,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक 970 / पटना,दिनांक 30-3-17
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(कौ०वि०/(रा०प्रो०सं०पटना)–01/15

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16----------50

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 856 /

(195)

पटना, दिनांक 24.03.1

सं0सं0 03/उ0नि0/कौशल विकास/रा0प्रौ0सं0, पटना–01/2015

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में तीन माह का प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹91,60,800 (एकानवे लाख साठ हजार आठ सौ) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृयादेश सं0–4443, दिनांक–22.12.16 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, पटना में राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में तीन माह का प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹91,60,800 (ऐकानवे लाख साठ हजार आठ सौ) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर समीक्षोपरान्त तीन माह के कोर्स के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय ₹20,820 (बीस हजार आठ सौ बीस रूपये) मात्र की दर से निर्धारित की गयी हैं।

(3) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना मे विभिन्न ट्रेडो यथा ड्राफ्टमैनशिप कम्पयुटर ग्राफिक्स, सरबेयिंग, हारिजेन्टल डिलिंग मशीन ऑपरेटर इत्यादि के लिए सामान्य जाति प्रक्षेत्र के 264 (दो सौ चौसठ) अनु0 जाति प्रक्षेत्र के 132 (एक सौ बत्तीस) एवं अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के 44 (चौवालीस) कुल 440 बेरोजगार युवक/युवतियों को 3 माह का गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(4) राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा प्रस्तावित योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम 50% का नियोजन/स्वनियोजित कराया जाएगा।

(5) इस राशि का व्यय निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–P2852801020135, राज्य योजना स्कीम कोड– **IND-5428,** विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	₹54,96,480.00
ii.	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–P2852807890102, राज्य योजना स्कीम कोड– **IND-5428**, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	₹27,48,240.00
iii.	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–P2852087960101, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	₹9,16,080.00
	कुल राशि :–	₹91,60,800.00

(रूपया एकानवे लाख साठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र।

(6) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 42 पर एकमुश्त कर आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी** संस्थान, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर

(7) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें। कार्यान्वयन ऐजेंसी **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना** से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा समुचित जांचोपरांत महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(8) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5428 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेगें।

(9) प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं0सं0–03/उ0नि0/कौशल विकास/रा0प्रौ0सं0,पटना– 01/2015 के पृष्ठ 48/टि0 पर दिनांक–08.12.16 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0 सं0–355, दिनांक–02.12.16 है।

(10) राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–03/उ0नि0/कौशल विकास/रा0प्रौ0सं0,पटना– 01/2015 के पृष्ट–54/टि० पर दिनांक–21.03.17 को प्राप्त हैं। जिसका डायरी सं0–55/**OSD**, दिनांक–21.03.17 है।

(11) वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(12) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 856/ पटना, दिनांक 24.03.17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 856/ पटना, दिनांक 24.03.17

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 856/ पटना, दिनांक 24.03.17

प्रतिलिपि :– राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 856/ पटना, दिनांक 24.03.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01(स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।